पाठ-4

भारत में कम्पनी राज्य का प्रभाव

अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ई0 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 की सौ वर्षों की लम्बी अवधि के दौरान भारत पर कम्पनी की पकड़ को बनाये रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा।

अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढाँचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके।

बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था

बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की। इस व्यवस्था में कम्पनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कम्पनी के पास अधिकार थे, परन्तु कोई दायित्व नहीं। जबकि नवाब के पास दायित्व थे, परन्तु अधिकार नहीं।

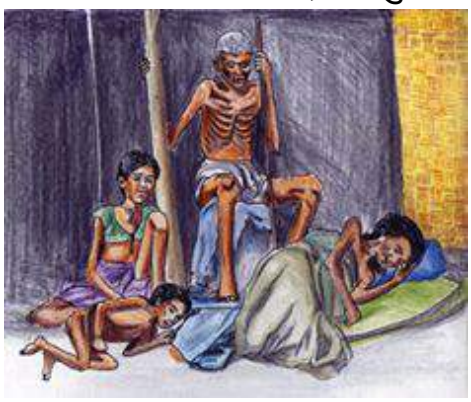

इसी दौरान 1769-70 ई0 में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुँचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैण्ड में कम्पनी की बहुत आलोचना हुई, परन्तु कम्पनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। सोचिए और बताइए- यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे ?कम्पनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफी धन कमा रहे थे। कम्पनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी माँग करने लगे कि कम्पनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदण्ड निश्चित किए जाएँ तथा कम्पनी के अधिकारियों से आय-व्यय का लेखा-जोखा लिया जाय। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कम्पनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कम्पनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउण्ड (ब्रिटिश मुद्रा) के ऋण की माँग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार माँग होने लगी कि कम्पनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देख-रेख, उनके लेखे-जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाय। साथ-साथ कम्पनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाय।ब्रिटेन के नये उद्योगपति, जो व्यापार पर कम्पनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कम्पनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट (धारा) बनाए गए-

भारत में वैधानिक विकास का प्रारम्भ

रेग्यूलेटिंग एक्ट - 1773 ई.

कम्पनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिये 1773 ई. में रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया गया। कम्पनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि (1) वे कम्पनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व सम्बन्धी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। (2) कम्पनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमायें इसके लिये यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैण्ड वापस लौटने पर अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दें। (3) इस एक्ट के अन्तर्गत बंगाल के गवर्नर को कम्पनी के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिये चार सदस्यों की एक परिषद् बनाई गयी। (4) न्याय-व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिये कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया।

पिट्स इण्डिया एक्ट- 1784 ई0

ब्रिटिश संसद ने 1784 ई. में एक नया कानून पारित किया जो 'पिट्स इण्डिया एक्ट' कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा (1) ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद् (बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल) की स्थापना हुई। इस परिषद् के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व सम्बन्धी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कम्पनी की स्थिति यथावत् रखी गई।

इस एक्ट के तहत चेन्नई (मद्रास) और मुंबई (बम्बई) की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल (बंगाल) के अधीन कर दिया गया।

इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण किया गया जिसके आधार पर 1857 ई. तक भारत में कम्पनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किये जो

निम्नलिखित हैं-

एक्ट एवं वर्ष	अधिकार
चार्टर एक्ट (1793 ई0)	इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुम्बई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया।
चार्टर एक्ट (1813 ई0)	इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। □भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया। □गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कम्पनी के निदेशकों के पास ही बना रहा परन्तु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गयी।
चार्टर एक्ट (1833 ई0)	□इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। □ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। □गवर्नर जनरल को अपनी परिषद् की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। □मुम्बई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छिन गया।
चार्टर एक्ट (1853 ई0)	□इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद् में 6 सदस्य और बढ़ा दिये गये, जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किये जाते थे। □परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कम्पनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया।

	□कम्पनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की।

इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कम्पनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गये और धीरे-धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया।कम्पनी शासन के तीन मुख्य आधार थे- नागरिक सेवा (सिविल सर्विस), सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था।ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिये एक 'कलेक्टर', कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये एक 'पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट' (अधीक्षक) और न्याय व्यवस्था के लिये एक जज होता था।

मालूम कीजिए कि क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है ?

ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कम्पनी के शासकों ने हिन्दुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति-रिवाजों, विवाह आदि से सम्बन्धित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिये पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ई0 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुयी। उसके पश्चात् प्रान्तीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गयी। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किये जाने पर बल दिया गया किन्तु यूरोपियों और भारतीयों के लिये समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे।

अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिये अलग कानून न्याय की व्यवस्था क्यों की गई थी ? चर्चा कीजिए।

उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रशासन की जिम्मेदारियाँ बढ़ती गईं तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, भाषाओं तथा परम्पराओं से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिये 1801 ई. में कलकत्ता (कोलकाता) में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई।

सन 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरम्भ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैण्ड में होती थी। 1853 में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किन्तु 1863 में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा

1876 ई. में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया।

शिक्षा और सामाजिक सुधार

अंग्रेजों ने 1781 ई0 में कोलकाता मे एक मदरसा और 1792 ई0 में बनारस में एक संस्कृत कालेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने ‘‘एशियाटिक सोसाइटी’’ नामक संस्था की स्थापना की जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज-सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नये ज्ञान-विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की माँग की।

> ’’हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जायेगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी हो।
>
> चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है।‘‘
>
> कलकत्ता 11 दिसम्बर, 1823, राजा राम मोहन राय

उधर, अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लम्बे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई।फलतः सन् 1835 में सरकार ने लार्ड मैकॉले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की माँग बढ़ती गयी।

भूमि सुधार

अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये मालगुजारी (भूमिकर) वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गाँवों की मालगुजारी

वसूल करने के लिये किसी को ठेका दे दिया जाय और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाय। लार्ड कार्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किये-

1. स्थायी बंदोबस्त लागू

उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन (स्थायी रूप से) उस गाँव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बन्दोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गये किन्तु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने-बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रान्तों में प्रारम्भ की गयी।

लार्ड मैकॉले

आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूलता है ?

2. रैयतवाड़ी प्रथा

दक्षिण भारत के मद्रास प्रान्त में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत (काश्तकार) को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिये निश्चित कर दी गयी। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था।

3. महलवाड़ी प्रथा

उत्तरप्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आस - पास, मालगुजारी कई गाँवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी, ये समूह 'महल' कहलाते थे। इसलिये इस प्रथा को 'महलवाड़ी प्रथा' कहते हैं। सरकार 'महल' पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी।

भारतीय उद्योग धन्धों का विनाश

अंग्रेज भारत से कच्चा माल (सूत, कपास) ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैण्ड के उद्योग के समक्ष टिक नहीं पाए। इसी कारण भारतीय उद्योग-धन्धों का विनाश होने लगा।

इन्हें भी जानें

 किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहते हैं।

शब्दावली

एक्ट या धारा- किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून ।

लगान- कृषि भूमि पर लगने वाला कर।

अभ्यास

1 बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया गया-

(क) 1773 ई0 में (ख) 1784 ई0 में

(ग) 1857 ई0 में (घ) 1770 ई0 में

2. एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की-

(क) राजाराम मोहन राय ने (ख) विलियम जोन्स ने

(ग) क्लाइव ने (घ) लार्ड मैकॉले ने

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की ?

(2) फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी ?

(3) सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गर्वनर जनरल के समय में हुई ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) पिट्स इण्डिया एक्ट के बारे में लिखिए ?

(2) स्थायी बंदोबस्त क्या था ?

(3) अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए ?

प्रोजेक्ट वर्क

1. पता करिए-आपके क्षेत्र में कौन-कौन से ग्रामीण उद्योग-धंधे हैं ? उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है तथा उनमें बनने वाले सामानों की सूची बनाइए ।